



BCC:ISD:117:16:179

29.05.2025

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA
---	--

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda -29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)

We advise that, Bank is convening 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of our Bank as per details given below:

1	Date/ Time	Monday, 23 <sup>rd</sup> June 2025 at 11:00 a.m.
2	Mode	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
3	Agenda/ Business	<b>ORDINARY BUSINESS</b> 1. To approve the financial results of the Bank for the year ended 31st March, 2025. 2. To approve and declare dividend for the FY2024-25. <b>SPECIAL BUSINESS</b> 3. To approve Capital Plan 2025-26 4. To consider and approve appointment of Smt Beena Vaheed, as an Executive Director of the Bank. 5. To consider and approve appointment of Shri Manoranjan Mishra, as a Non-Executive Director of the Bank. 6. To approve appointment M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.
4	Cut-off date	06 <sup>th</sup> June 2025: For entitlement of Dividend 16 <sup>th</sup> June 2025: To attend the AGM & vote through remote e-Voting/voting at the AGM
5	Dividend Recommended	Rs. 8.35 per equity shares of FV of Rs.2 each
6	Remote E-Voting	From 9.00 a.m. on 19.06.2024 up to 5.00 p.m. on 22.06.2025

We also annex a copy of 29<sup>th</sup> AGM Notice.

We request you to take notice under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal  
Company Secretary



## 29वीं वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस

### बैंक ऑफ बड़ौदा

**प्रधान कार्यालय:** अलकापुरी, बड़ौदा – 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 (वेबसाइट: www.bankofbaroda.in )

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 29वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से सोमवार, दिनांक 23 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

#### सामान्य कार्यवाही:

##### मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2025 के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना।

##### मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना।

#### विशेष कार्यवाही:

##### मद संख्या 3: पूंजी योजना 2025-26

निम्नलिखित संकल्प पर एक "विशेष संकल्प" के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे संशोधन सहित अथवा रहित पारित करना।

"संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अधधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर एवं बैठके) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और / अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अधधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य, सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉफ एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी

हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा रु. 8500/- करोड़ (रु. आठ हजार पांच सौ करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, रु. 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सृजन, ऑफर, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के कालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) / फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) / राइट इश्यू/एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो।

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आवंटन कालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) / राइट इश्यू /एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त, अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपयुक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों, जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/ या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तय करने का समस्त प्राधिकार निदेशक मंडल के पास होगा और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।"

आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार कालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में-

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार

की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियम में समय-समय पर अनुमति दी गई है।

- ख) बैंक आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।
- ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/एसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह यथालागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जोकि अधिनियम और अन्य विनियामकों के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी।

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत होगा, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो, के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे.

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमाननी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।”

‘आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभूतियों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें।”

#### मद संख्या 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2024 के माध्यम से दिनांक 09 अगस्त, 2024 से तीन वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है”

#### मद संख्या 5:

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 (3) (सी) के तहत, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना 1970 और 1980 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के साथ पठित, केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या 6/3/2011-बी.ओ.। दिनांक 12 दिसंबर 2024 के अनुसार, 12.12.2024 से प्रभावी और आगे के आदेशों के तहत, बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”



## मद संख्या 6:

मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी मुंबई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए और अन्य लागू कानूनों, यदि कोई हो, के अनुसरण में सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी मुंबई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फर्म पंजीकरण संख्या BA92897 को 5 साल की अवधि के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए बैंक के सदस्यों का अनुमोदन दिया जाता है।

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

*देबदत्त चांद*

**देबदत्त चांद**

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06 मई, 2025

## नोट:

### 1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2025 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। **29वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा।**

### 2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-rajv.sv@kfintech.com/ companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 18

जून, 2025 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

### 3. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के मद संख्या 3, 4, 5 एवं 6 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक इसके साथ संलग्न है।

### 4. एजीएम में प्रतिभागिता

बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स हेतु नियुक्त किया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

- शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।
- शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- निकाय कॉर्पोरेट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट [evoting@nsdl.com](http://evoting@nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

### 5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

- सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम संबंधी "Join Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM Link" का लिंक

देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM Link पर क्लिक करें। VC/OAVM का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।
3. साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके। शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने हेतु कैमरे की अनुमति के साथ अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
7. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **19 जून 2025** को सुबह 9:00 बजे से **20 जून 2025** को शाम 5:00 बजे तक नोटिस में दर्शाए गए उप शीर्षक रिमोट ई वोटिंग के तहत "स्टेप 1: एक्सेस टू एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के तहत बताई गई लॉगिन विधि का उपयोग करके स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्य बैंक ऑफ बड़ौदा के ईवीईएन के सामने उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके स्वयं को वक्ता शेयरधारक के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे।
8. एजीएम से पहले/ उस दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या नंबर: 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

## 6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

## 7. लाभांश भुगतान और वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए रिकॉर्ड/कट-ऑफ तिथि

लाभांश 2024-25 के भुगतान के लिए रिकॉर्ड/कट ऑफ तिथि, 29वीं वार्षिक आम बैठक में घोषणा के अधीन, शुक्रवार दिनांक **06 जून 2025** होगी। तदनुसार, दिनांक **06 जून 2025** को कारोबार समय की समाप्ति पर बैंक के शेयर भौतिक/ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने वाले शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में, वे शेयरधारक जिनके पास सोमवार, **16 जून 2025 (कट-ऑफ तारीख)** तक बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

## 8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 06 मई, 2025 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु. 2/- के इक्विटी शेयर पर @ रु.8.35 (आठ रुपये पैंतीस पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 29वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

- ए) दिनांक 06 जून, 2025 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्पोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को;
- बी) दिनांक 06 जून, 2025 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;



सी) ये लाभांश 29वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे।

डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी।

समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।

सी. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इस कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 16 जून 2025 को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक अथवा अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं।

## 9. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मद्दों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

बी. रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल **गुरुवार, 19 जून, 2025** को सुबह 9.00 बजे से **रविवार, 22 जून, 2025** को शाम 5.00 बजे तक पूरे


## चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली हेतु एक्सेस

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्ति शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp</a> पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करते हुए ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।</li> <li>मौजूदा <b>IDeAS</b> उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर NSDL की ई-सर्विसेज वेबसाइट अर्थात् <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर <b>"Login"</b> के अंतर्गत <b>"Beneficial owner"</b> आइकन पर क्लिक करें, जो <b>'IDeAS'</b> सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के संकेत देगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत <b>"Access to e-Voting"</b> पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या <b>ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल</b> पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए <b>एनएसडीएल</b> की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</li> <li>यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर उपलब्ध है। <b>"Register Online for Portal IDeAS"</b> चुनें या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</li> <li>एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या <b>ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल</b> पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</li> </ol>

	<p>5. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए निम्नानुसार क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div style="text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p>  </div>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अन्य सत्यापन के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर जाएं और लॉगिन आइकन तथा नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपने मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें।</li> <li>सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं मतदान में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें।</li> <li>यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर उपलब्ध है तथा लॉगिन एवं न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</li> <li>वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान करेगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होंगे।</li> </ol>
<p>अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्ति शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले)</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

**महत्वपूर्ण नोट:** जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर या सीडीएसएल हेल्पडेस्क या 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।



बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्युअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रक्रिया।

**एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?**

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को दर्ज करना होगा

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 वर्ण की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है, तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपकी यूजरआईडी 12***** है।
सी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्ति शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और वोट करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको संप्रेषित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाता में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को देखें। ईमेल को खोलें और संलग्नक यानी a.pdf फाइल को खोलें। .pdf फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है और सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड है। .pdf फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

ए) "यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं) विकल्प [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।

बी) भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड?" (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं) विकल्प [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए ईमेल [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स में "नियम और शर्तों" का चयन करके सहमत हूँ पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से जुड़ें।**

**इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से कैसे जुड़ें?**

1. चरण-1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" को देख पाएंगे जिनके आप शेयर धारक हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join Meeting" के तहत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट करें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि करने पर, "वोट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ" संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके भी अपने द्वारा किए गए वोटों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप रिसोल्यूशन पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल द्वारा और एक प्रति evoting@nsdl.com पर संवीक्षक को मार्क करके प्रेषित करनी होगी।
2. यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।
3. किसी भी प्रश्न के लिए, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या फोन नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

**उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :**

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) [v-rajv@kfintech.com](mailto:v-rajv@kfintech.com) पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक DPID + CLID या 16 अंकों का लाभार्थ आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) [v-rajv@kfintech.com](mailto:v-rajv@kfintech.com) पर प्रेषित करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन प्रक्रिया और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन प्रक्रिया अर्थात् डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि देखें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग संबंधी सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ मेनटेंड अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

### एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
5. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

### 10. वार्षिक आम बैठक में मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित की जाने वाली वोटिंग में अपना वोट देने हेतु पात्र होंगे।

### 11. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।



## 12. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

## 13. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

ए) बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरणों का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तत्काल अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित किया जाना चाहिए।

बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को केवल संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास रजिस्ट्रार करना चाहिए न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना संबंधित डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

## 14. भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना दी है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।
2. दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
3. जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे (1) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
4. फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 एवं/ अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

## 15. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

उक्त पत्राचार के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश संबंधी किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

<p><b>केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,</b> (यूनित: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032 <b>ई-मेल:</b> einward.ris@kfintech.com <b>टोल फ्री/फोन नंबर:</b> 1800-309-4001 <b>व्हाट्सएप नंबर:</b> (91) 9100094099 <b>केप्रिज्म (मोबाइल एप्लिकेशन):</b> <a href="https://kprism.kfintech.com/">https://kprism.kfintech.com/</a> <b>केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट:</b> <a href="https://www.kfintech.com">https://www.kfintech.com</a> <b>आरटीए वेबसाइट:</b> <a href="https://ris.kfintech.com">https://ris.kfintech.com</a> <b>निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक):</b> <a href="https://ris.kfintech.com/clientservices/isc">https://ris.kfintech.com/clientservices/isc</a></p>	<p><b>बैंक ऑफ़ बड़ौदा,</b> निवेशक सेवाएं विभाग, 7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई - 400 051 टेलीफोन : 022 - 66985731/ 5743, सामान्य नंबर : 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) ई-मेल: <a href="mailto:investorservices@bankofbaroda.com">investorservices@bankofbaroda.com</a> बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का खंड - <a href="https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/">https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/</a></p>
---	---

**16. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:**

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों। अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें।
2. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।
3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी\_आरटीएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रूप में परिवर्तन करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

- i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;
- ii. शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. अभौतिकीकरण, शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

**17. भौतिक शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:**

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्र के विवरणों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में अभौतिकीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिसमें शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) प्रस्तुत करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे।

- बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है। यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुसूच नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्रों के विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में, कृपया बिंदु संख्या 14 में उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें।

**18. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/ शेयरों का अंतरण**

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन ("नियमावली") के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.॥ दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं।

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2016-17 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> और केफिन <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> पर उपलब्ध हैं।

हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें। यदि बैंक को 30 जून, 2025 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।



कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर की गई अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबंधित किसी भी दावे के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।

**19. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:**

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया नोट करें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5- में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

**20. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो:**

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भावी नियत तारीखें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त 2025	लागू नहीं
2	2018-2019	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2019-2020		लागू नहीं	
4	2020-2021		लागू नहीं	
5	2021-2022		27 जुलाई, 2029	
6	2022-2023		07 अगस्त, 2030	
7	2023-2024		05 अगस्त, 2031	

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

<p><b>केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड</b> (यूनिट – बैंक ऑफ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 ई-मेल: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> वेबसाइट: <a href="https://www.kfintech.com">https://www.kfintech.com</a> टोल फ्री नं. – 1-800-309-4001</p>	<p><b>निवेशक सेवाएं विभाग</b> बैंक ऑफ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई – 400 051 ई मेल :- <a href="mailto:investorservices@bankofbaroda.com">investorservices@bankofbaroda.com</a></p>
---	---

**21. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया:**

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें।

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध / अद्यतन कराएं।
- शेयरधारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) पर संपर्क कर सकते हैं।
- शेयर धारकों से यह अनुरोध भी है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें।
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लॉक मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) पर भेज सकते हैं।

**व्याख्यात्मक विवरण:**

**मद संख्या 3: पूंजी योजना 2025-26**

निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य लागू विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ राइट इश्यू / एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी

/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों या अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए सामान्य इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव करता है क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। आपके निदेशकगण इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्पों में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा।

निदेशक मंडल प्रस्तावित संकल्प को पास करने की सिफारिश करता है।

**मद संख्या 4: श्रीमती बीना वाहिद की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी**

भारत सरकार ने दिनांक 09 अगस्त 2024 की अपनी अधिसूचना के द्वारा श्रीमती बीना वाहिद (जन्म तिथि: 17 मई 1969) को दिनांक 09 अगस्त 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

**संक्षिप्त परिचय:**

श्रीमती बीना वाहिद ने दिनांक 9 अगस्त, 2024 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1993 में कॉर्पोरेशन बैंक में अधिकारी के रूप में की। आपने बैंक की व्यावसायिक योजना, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार हेतु किए जाने वाले प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें वर्ष 1997 में बैंक के आईपीओ का सफलतापूर्वक शुभारंभ भी शामिल है। एक प्रतिष्ठित बैंकर के रूप में आपको रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई, ऋण मूल्यांकन, मानव संसाधन, सरकारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण एवं लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक कार्यानुभव है।

आपने अपने कैरियर के दौरान आपने बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया है। शाखा प्रमुख के रूप में आपने व्यवसाय विकास को सुदृढ़ता प्रदान की, जोखिम एवं परिचालनगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया और बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। उप महाप्रबंधक के रूप में एवं उसके उपरांत महाप्रबंधक के रूप में आपने पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के सबसे बड़े क्षेत्र जिसमें बड़े कॉर्पोरेट्स के खाते थे की जिम्मेदारी संभाली एवं आपके नेतृत्व में बैंक के कारोबार और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।



कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन के उपरांत कार्य संस्कृति के एकीकरण में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपने समामेलित इकाई में महाप्रबंधक-मानव संसाधन परिचालन के रूप में कार्यदायित्व संभाला। तत्पश्चात अगले कार्यदायित्व में कारोबार की दृष्टि से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे सबसे बड़े अंचल-दिल्ली अंचल के अंचल प्रमुख के रूप में लाभप्रदता, परिचालन और अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ₹2 लाख करोड़ से अधिक के व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में आपकी कार्यनीति संबंधी दक्षता निर्णायक सिद्ध हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आपने जमा संग्रहण विभाग के प्रभारी एवं मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सभी जमा उत्पादों के प्रबंधन तथा बैंक के देयता आधार में वृद्धि हेतु कार्यनीतिक पहलों और संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपने क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण का प्रभार भी संभाला है।

आपको, आपकी कार्यनीति दक्षता, संस्थान के कार्मिकों के कौशल विकास, टीम निर्माण एवं अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव स्थापित करने संबंधी कुशलता के लिए जाना जाता है। यह आपके बहुआयामी एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचायक है।

उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यनिष्पादन हेतु आपको प्राप्त विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी उपलब्धि के प्रमाण हैं। हाल ही में, आपकी पेशेवर उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप आपको आईआईएम कोझीकोड द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व-छात्र पुरस्कार, 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपने विभिन्न निदेशक मंडल और नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। वर्तमान में, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड के साथ-साथ बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड की भी निदेशक हैं।

आपने केरल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तथा जनसंचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है, आईआईएम कोझीकोड से एक्जीक्यूटिव एमबीए पाठ्यक्रम पूरा किया है तथा साइबर सुरक्षा एवं नेतृत्व कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप आईआईएम बेंगलुरु और एगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (जिसे अब एफएसआईबी के नाम से जाना जाता है) द्वारा चुने गए वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरे बैच में शामिल रही हैं। आपने आईआईसीए/एमसीए द्वारा संचालित ईएसजी लीडरशिप के तहत निदेशक प्रमाणन कार्यक्रम में भी सहभागिता की है।

श्रीमती बीना वाहिद को देय पारिश्रमिक/ मुआवजा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

श्रीमती बीना वाहिद या उनके रिश्तेदारों (बैंक में उनकी शेरधारिता की सीमा तक), यदि कोई हो, के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशकों के मध्य आपसी संबंध : कोई नहीं

## **मद संख्या 5: श्री मनोरंजन मिश्रा की गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआई नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति की मंजूरी।**

भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2024 की अपनी अधिसूचना के द्वारा श्री मनोरंजन मिश्रा को बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर-कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति दिनांक 13 दिसंबर 2025 से और अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, बैंक के गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

### **संक्षिप्त परिचय:**

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से श्री मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक के नामांकित निदेशक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में तीन दशक से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले श्री मनोरंजन मिश्रा दिनांक 30 सितंबर, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री मिश्रा ने बैंकों और एनबीएफसी के नियमन, बैंकों की निगरानी, मुद्रा प्रबंधन, प्रवर्तन, जोखिम निगरानी, बाहरी निवेश और परिचालन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों में काम किया है। श्री मिश्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य समूहों के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं और नियामक और पर्यवेक्षी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं।

श्री मिश्रा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एमबीए (बैंकिंग और वित्त) हैं। उनके पास यूके के एस्टन बिजनेस स्कूल से वित्त और वित्तीय नियमन में मास्टर डिग्री भी है।

श्री मनोरंजन मिश्रा को देय पारिश्रमिक/ मुआवजा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

श्री मनोरंजन मिश्रा या उनके रिश्तेदारों (बैंक में उनकी शेरधारिता की सीमा तक), यदि कोई हो, के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशकों के मध्य आपसी संबंध : कोई नहीं

## **मद संख्या 6: मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी मुंबई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को 5 वर्ष की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति।**

सेबी से (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) ('एलओडीआर') विनियमन, 2015 के विनियमन 24ए के अनुसार, निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेगी। तदनुसार, निदेशक मंडल की सिफारिश पर, मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी की नियुक्ति शेरधारकों की मंजूरी के लिए प्रस्तावित है। लेखा परीक्षा अवधि 2025-26 से 2029-30 तक होगी। पारिश्रमिक 99,999/- रुपये प्रति वर्ष एवं लागू कर और हर साल 10% वार्षिक शुल्क वृद्धि होगा।

मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी 1991 में स्थापित प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की एक फर्म है। फर्म कॉर्पोरेट कानूनों, सेबी विनियमों के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें सचिवीय ऑडिट, समुचित सावधानी ऑडिट और अनुपालन ऑडिट शामिल हैं। इस फर्म की समीक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा की जाती है। मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी ने पुष्टि की है कि फर्म अयोग्य नहीं है और वह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24 (1ए) के संदर्भ में बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में

नियुक्त होने के लिए पात्र है। सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24 (1बी) के दायरे में हैं।

उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में, बैंक के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और/ या उनके संबंधियों का वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई सरोकार या हित निहित नहीं है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद

देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06 मई, 2025



## NOTICE OF 29<sup>th</sup> AGM

### Bank of Baroda

**Head Office:** Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Center, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051  
(Website: [www.bankofbaroda.co.in](http://www.bankofbaroda.co.in))

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio - Visual Means (OAVM) on Monday, 23rd June 2025 at 11.00 a.m. to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS

##### Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2025, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

##### Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2024-25.

#### SPECIAL BUSINESS

##### Item Number 3: Capital Plan 2025-26

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a "**Special Resolution**".

"**RESOLVED THAT** subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the

Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad to raise additional capital up to Rs. 8500/- crore (Rupees Eight Thousand Five Hundred crore) through equity capital by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations,

other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) , Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number

to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/ (s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

#### Item Number 4:

To approve appointment of Smt. Beena Vaheed as Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Smt. Beena Vaheed, as Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref No. 4/5/(i)/2023-BO.I dated 09th August 2024 issued by Government of India, for a period of three years with effect from 09.08.2024 or until further order, whichever is earlier be and is hereby approved.”

#### Item Number 5:

To approve appointment of Shri Manoranjan Mishra as Non-Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)



Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Manoranjan Mishra, as Non- Executive Director on the Board of Bank of Baroda, with effect from 12.12.2024 and under further orders, under Section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980, read with sub paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and 1980 the Central Government, vide Notification Ref No. 6/3/2011-BO.I dated 12th December 2024 issued by Government of India, be and is hereby approved.”

#### Item Number 6:

To approve appointment M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.

To consider and, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) approval of the members of the Bank be and is hereby accorded, for appointment of M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries FIRM REGN NO BA92897 as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.

FOR BANK OF BARODA

**Debadatta Chand**  
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 06<sup>th</sup> May, 2025

#### NOTES:

#### 1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM))

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024, permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM by 30th September 2025. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 03rd October 2024.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 29th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara..**

#### 2. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com/ companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 18th June 2025.

#### 3. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of meeting at item no 3, 4 5 & 6 is annexed hereto.

#### 4. AGM Participation

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

- Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
  - Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
  - Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
- The Shareholders can join the AGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
  - There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
  - The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.

- The Notice calling the AGM is being uploaded on the website of the Bank at [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in). The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and is also available on the website of NSDL, the e-voting agency at the website address [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

#### 5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for AGM and will be available for Members on first come first served basis.
3. Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
4. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
5. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by using the login method explained in the notice under the sub head Remote e-Voting "Step 1: Access to NSDL e-Voting system" from 9:00 a.m. on **19th June 2025** to 5:00 p.m. on

**20th June 2025.** After successful login, Members will be able to register themselves as a speaker shareholder by clicking on the link available against the EVEN of Bank Of Baroda.

8. Members facing any technical issue in login before / during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at 022 - 48867000
9. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

#### 6. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

#### 7. Record/Cut-Off Date for Dividend Payment and voting at the AGM

Record/Cut off date for the purpose of payment of Dividend 2024-25, subject to declaration at 29th AGM will be Friday **06th June 2025**. Accordingly, shareholders holding Bank's shares as on the close of business hours on **06th June 2025** either in physical/electronic form will be entitled to receive the dividend.

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Shareholders holding Bank's Shares as on Monday, **16th June 2025 (Cut-off Date)** will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM.

#### 8. Payment of Dividend

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 06th May 2025 has recommended dividend @ Rs. 8.35 (Eight Rupees Thirty Five Paise Only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2025. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 29th Annual General Meeting will be paid as under:

- a) To all beneficial owners in respect of shares held



in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 06th June 2025;

- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 06th June 2025;
- c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 29th Annual General Meeting.
- d) Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guideline

**9. Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed National Securities

Depository Limited (NSDL) as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.

- b) The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on **Thursday, 19th June 2025** and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on **Sunday, 22nd June 2025** (both days inclusive).
- c) Remote e-voting is optional.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Monday, 16th June 2025, may cast their vote electronically.


**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

- A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. For OTP based login you can click on <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp</a>. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>2. Existing <b>IDEAS</b> user can visit the e-Services website of NSDL Viz. <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “<b>Beneficial Owner</b>” icon under “<b>Login</b>” which is available under ‘<b>IDEAS</b>’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “<b>Access to e-Voting</b>” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting</li> <li>3. If you are not registered for IDEAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>. Select “<b>Register Online for IDEAS Portal</b>” or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> <li>4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “<b>Login</b>” which is available under ‘<b>Shareholder/Member</b>’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> </ol>

	<p>5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “<b>NSDL Speede</b>” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login icon &amp; New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username &amp; password.</li> <li>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers’ website directly.</li> <li>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login &amp; New System Myeasi Tab and then click on registration option.</li> <li>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</li> </ol>
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p>

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSD	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> or call at toll free no.: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 1800-21-09911

**B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**How to Log-in to NSDL e-Voting website?**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.



2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. Alternatively, if you are registered

for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which was communicated to you. Once you retrieve your ‘initial password’, you need to enter the ‘initial password’ and the system will force you to change your password.

- c) How to retrieve your ‘initial password’?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your ‘initial password’ is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your ‘User ID’ and your ‘initial password’.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the “Initial password” or have forgotten your password:

a) Click on “Forgot User Details/Password?”(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

b) Physical User Reset Password?” (If you are holding shares in physical mode) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on “Login” button.

9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.**

**How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?**

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select “EVEN” of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join Meeting”.

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.

5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

### General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

### Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to v-rajju.sv@kfintech.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to v-rajju.sv@kfintech.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

### THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
5. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

### 10. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

### 11. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

### 12. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

### 13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.



- b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

**14. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS**

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for

their corresponding folio numbers.

2. The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
4. Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

**15. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS**

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

<p><b>KFin Technologies Ltd.,</b> Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 &amp; 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. <b>Email :</b> einward.ris@kfintech.com <b>Toll Free/ Phone Number :</b> 1800 309 4001 <b>WhatsApp Number :</b> (91) 910 009 4099 <b>KPRISM (Mobile Application) :</b> <a href="https://kprism.kfintech.com/">https://kprism.kfintech.com/</a> <b>KFINTECH Corporate Website :</b> <a href="https://www.kfintech.com">https://www.kfintech.com</a> <b>RTA Website :</b> <a href="https://ris.kfintech.com">https://ris.kfintech.com</a> <b>Investor Support Centre (DIY Link) :</b> <a href="https://ris.kfintech.com/clientservices/isc">https://ris.kfintech.com/clientservices/isc</a></p>	<p><b>Bank of Baroda</b> Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 <b>Tel:</b> 022 - 6698 5731 / 5743 <b>General Number :</b> 022 – 6698 5000-04 (PBX) <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:investorservices@bankofbaroda.com">investorservices@bankofbaroda.com</a> <b>Shareholder's corner section on Bank's Website</b> - <a href="https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/">https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/</a></p>
--	---

**16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.
2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD\_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided

that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

**17. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :**

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

**A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:**

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

**B. For shareholders already having a Demat account:**

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned in point 14.

**18. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF**

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed

for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2016-17 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> and that of KFin at <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents. In case Bank does not receive any claim by 30th June 2025, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

**19. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERRED TO IEPF:**

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

**20. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2016-17 to IEPF. For the details of unpaid dividend from



FY 2017-18 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2017-2018	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
2	2018-2019	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3	2019-2020	Not Applicable		
4	2020-2021	Not Applicable		
5	2021-2022	27th July 2029		
6	2022-2023	07th August 2030		
7	2023-2024	05th August 2031		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2017-18 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

<p><b>KFin Technologies Ltd.</b> (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 &amp; 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: <a href="https://www.kfintech.com">https://www.kfintech.com</a> Toll free number - 1- 800-309-4001</p>	<p><b>Investors' Services Department</b> Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com</p>
---	---

**21. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:**

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar

and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

**EXPLANATORY STATEMENT:**

**Item Number 3 – Capital Plan 2025-26**

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other

mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**Item Number 4: To approve the appointment of Smt. Beena Vaheed, as Executive Director**

The Government of India vide its notification dated 09th August 2024 has appointed Smt. Beena Vaheed (DOB: 17th May 1969), Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 09th August 2024 for a period of three years or until further order, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Smt. Beena Vaheed as the Executive Director of the Bank.

**Brief Profile:**

Smt. Beena Vaheed joined Bank of Baroda as an Executive Director on August 9, 2024.

She began her career as an Officer at Corporation Bank in 1993, significantly contributing to the Bank's business planning, advertising and publicity efforts, including the successful launch of its IPO in 1997. As a tenured banker, Smt. Vaheed brings in rich and diverse experience of over 30 years across a wide range of verticals including Retail, Agriculture & MSME, Credit Assessment, Human Resources, Government Banking, Credit Card and Merchant Acquisition and Liability franchise.

Throughout her career, Smt. Vaheed has held multiple leadership roles. As a Branch Head, she led strong business growth, ensured risk & operational compliance and improved market share. As a Deputy General Manager and, subsequently General Manager, she managed one of the largest regions for the erstwhile Corporation Bank, overseeing major corporate accounts and driving substantial business volume and profitability.

Following the amalgamation of Corporation Bank with Union Bank of India, Smt. Vaheed played a pivotal role in cultural integration. She assumed the role of General Manager - HR Operations of the amalgamated entity. Thereafter, in her next assignment, her strategic acumen was instrumental in managing over Rs 2 lakh crore in business as the Zonal Head - Delhi, the second-largest zone for Union Bank of India, focusing on profitability, operations and compliance. In her last stint as Chief General Manager in charge of the Deposit Mobilisation department at Union Bank of India, Smt. Vaheed was responsible for managing all deposit products and spearheading strategic initiatives & structural

changes to enhance the Bank's liability base. She was also in charge of credit cards and Merchant Acquisition.

Smt. Vaheed is recognised for her strategic acumen, people development, team building & motivation, and customer engagement skills, making her a well-rounded and dynamic professional.

Her effectiveness as a leader is evidenced by multiple awards and recognition received for outstanding business performance. Most recently, she received the Distinguished Alumni Award, 2024 from IIM Kozhikode, as a mark of appreciation for her professional accomplishments. Additionally, Smt. Vaheed has served in numerous board and leadership positions. She was a Director on the Board of Union Bank of India Services Ltd. She is currently a Director on the Board of BOB Capital Markets Limited and Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited besides the board of Bank of Baroda.

Smt. Vaheed holds a Bachelor of Science and a Master of Communication and Journalism from the University of Kerala, has completed an Executive MBA from IIM Kozhikode and has received specialised training in Cybersecurity and Leadership. She was a part of the 3rd batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Programme organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. She also undergone a Director's certification program in ESG leadership conducted by IICA/MCA.

Remuneration / Compensation payable to Smt. Beena Vaheed is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Smt. Beena Vaheed or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

**Item Number 5: To approve the appointment of Shri Manoranjan Mishra, as Non-Executive Director (RBI Nominee Director)**

The Government of India vide its notification dated 13th December 2024 has appointed Shri Manoranjan Mishra, Non Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 13th December 2024 and until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Manoranjan Mishra as the Non Executive Director of the Bank.

**Brief Profile:**

Shri Manoranjan Mishra has been appointed as the RBI nominee Director on the Board of Bank of Baroda vide Government of India notification dated 12th December, 2024.

Shri Manoranjan Mishra has over three decades of experience in the Reserve Bank of India. He has superannuated from RBI services on 30th September 2024. Shri Mishra worked across the RBI departments including Regulation of Banks



and NBFCs, Supervision of Banks, Currency Management, Enforcement, Risk Monitoring, External Investments & Operations. Shri Mishra also served as a member of several Working Groups at the national and international levels and contributed to the formulation of regulatory and supervisory policies.

Shri Mishra is a post graduate in Economics and MBA (Banking and Finance). He also holds a Master's degree in Finance and Financial Regulation from Aston Business School, UK.

Remuneration / Compensation payable to Shri Manoranjan Mishra is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Mr. Manoranjan Mishra or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

**Item No. 6: To appoint M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030**

In terms of Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ('LODR') Regulations, 2015, on the basis of recommendation of Board of Directors, a listed entity shall appoint Secretarial Auditors. Accordingly, on the recommendation of the Board, the appointment of M/s Ragini Chokshi & Co is proposed for shareholders approval.

The audit period will be from 2025-26 to 2029-30. The remuneration will be Rs 99,999/- p.a plus applicable taxes and 10% annual fee increment every year.

M/s Ragini Chokshi & Co is a firm of Practising Company Secretaries founded in 1991. The firm provides professional services in the field of Corporate Laws, SEBI Regulations, including carrying out Secretarial Audit, Due Diligence Audits and Compliance Audits. The firm is Peer Reviewed by the Institute of Company Secretaries of India. M/s Ragini Chokshi & Co confirmed that the firm has not incurred any disqualification and eligible to be appointed as Secretarial Auditor of the Bank in terms of Regulation 24 (1A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The services to be rendered by M/s Ragini Chokshi & Co as Secretarial Auditor are within the purview of Regulation 24 (1B) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated December 31, 2024.

None of the Directors and/ or Key Managerial Personnel of the Bank and/ or their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out.

FOR BANK OF BARODA

**Debadatta Chand**  
Managing Director & CEO

Place: Mumbai  
Date: 06<sup>th</sup> May, 2025